



Real Estate Regulatory Authority
भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, मेन रोड नं. 1, भोपाल-462011

प्ररूप "ग"
{नियम 6 (1) देखिए}

परियोजना का पंजीयन प्रमाण-पत्र

यह पंजीयन अधिनियम की धारा 5 के अधीन निम्नलिखित परियोजना को परियोजना पंजीयन क्रमांक **P-IND-21-3033** अधीन मंजूर किया जाता है:-

प्रोजेक्ट - एम्शॉल्ड निर्वाणा, इन्दौर
म.प्र.

(परियोजना पते को सम्मिलित करते हुए परियोजना के ब्यौरे विनिर्दिष्ट कीजिए):

1. (व्यक्तिगत की दशा में) श्री/श्रीमती
पुत्र श्री/श्रीमती
तहसील जिला राज्य

या

(फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी की दशा में) **मेसर्स-अग्रवाल रीयल इंफ्रा एल.एल.पी.**
फर्म/सोसाइटी/कंपनी सक्षम प्राधिकारी **अग्रवाल हाउस-5, यशवंत कालोनी** में इसका पंजीकृत
कार्यालय/कारोबार का प्रमुख स्थान होगा। **वाय.एन.रोड.इन्दौर (म.प्र.)**

2. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन मंजूर किया जाता है, अर्थात् -

- (एक) सम्प्रवर्तक "उपबंध-क" में यथा उपबंधित के साथ विक्रय हेतु करार करेगा।
(दो) सम्प्रवर्तक धारा 17 के अनुसार कॉमन क्षेत्र या अपार्टमेंट के, जैसी भी स्थिति हो, आबंटिती के संघ या आबंटिती के पक्ष में हस्तांतरण विलेख को निष्पादित या पंजीकृत करेगा।
(तीन) सम्प्रवर्तक धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के उपखण्ड (घ) के अनुसार निर्माण लागत तथा इस प्रयोजन के लिए उपयोग की जानेवाली भूमि की लागत को पूरा करने के लिए सम्प्रवर्तक द्वारा वसूली गई रकम का सत्तर प्रतिशत अनुसूचित बैंक में बनाए रखने के लिए अलग खाते में जमा करेगा।
(चार) पंजीयन **दिनांक 02-12-2021** से शुरू करते हुए **01-12-2024** के साथ समाप्त करते हुए **03 (तीन)** वर्ष की कालावधि के लिए वैध होगा, यदि अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 8 के अनुसार रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण द्वारा नवीकृत नहीं कराया जाता है।
(पांच) सम्प्रवर्तक इसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों को अधिनियम के उपबंधों के साथ लागू करेगा।
(छ) सम्प्रवर्तक क्षेत्र में लागू जहां परियोजना का विकास किया जा रहा है तत्समय किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।

3. यदि उक्त उल्लिखित शर्तें सम्प्रवर्तक द्वारा पूरी नहीं की जाती हैं, तो विनियामक प्राधिकारी अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अनुसार इसमें पंजीयन मंजूरी को प्रतिसंहत करते हुए सम्प्रवर्तक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा।

4. उक्त परियोजना प्रकरण प्राधिकरण के आदेश में अंकित शर्तों के अध्याधीन।

दिनांक : **02-12-2021**

स्थान : **भोपाल**

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण



Real Estate | भू-संपदा
Regulatory Authority | विनियामक प्राधिकरण
Madhya Pradesh | मध्यप्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2556340, 2556760

Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id- secretaryrera@mp.gov.in

क्रमांक 2021/II-R/A-05/F-404/1187,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08/12/2021

मेसर्स अग्रवाल इंफ्रा एलएलपी,
सम्प्रवर्तक, एमरॉल्ड निर्वाणा,
अग्रवाल हाउस, 5, यशवंत कॉलोनी,
वाय० एन० रोड, इंदौर(म०प्र०)

विषय-परियोजना- एमरॉल्ड निर्वाणा, इंदौर (प्रोजेक्ट क्र.- 322223294429) के संबंध में।
संदर्भ-परियोजना में सुनवाई दिनांक 01-12-2021

-0-


कृपया उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 01-12-2021 प्राधिकरण द्वारा की गई सुनवाई का स्मरण करे, जिसमें कि परियोजना एमरॉल्ड निर्वाणा, इंदौर का पंजीयन सशर्त मान्य किया गया है। परियोजना को पंजीयन क्र.- P-BNG-21-3033 आवंटित किया गया है।
परियोजना प्रमाण पत्र संलग्न है।

प्राधिकरण के आदेशानुसार मुझे यह सूचित करने के निर्देश है कि उक्त पंजीयन भू-सम्पदा(विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11 एवं भू-सम्पदा(विनियमन एवं विकास) नियम 2017 के नियम 9, 14, 15 एवं 16 उल्लेखित प्रावधानों के अतिरिक्त निम्न शर्त के अधधीन मान्य किया गया है :-

" संप्रवर्तक अधिनियम की धारा 4(2)(ठ)(ई) के अनुसार आवंटितियों से इस भू-संपदा परियोजना के लिए समय-समय पर वसूल की गई रकमों का 70 प्रतिशत निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिए किसी अनुसूचित बैंक में पृथक खाता खोलेगा और उस खाते में जमा रकम सिर्फ इस परियोजना के प्रयोजन के लिए ही उपयोग कर सकेगा। संप्रवर्तक इस प्रकार खाता खोलकर जानकारी प्राधिकरण को 15 दिवस में उपलब्ध करायेगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।


(नीरज दुबे)
सचिव

म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण